कार्यालय विशिष्ठ न्यायाधीश, अ.जा./अ.ज.जा. (अनिप्र), धौलपुर

क्रमांक : स्था०/2020/77

दिनांक : 15.04.2020

–: आम सूचना :–

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस (Novel Corona Virus- Covid 19) को महामारी घोषित करने के पश्चात् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 14/PI/2020 दिनांकित 14.04.2020 एवं परिपत्र क्रमांक 13/PI/2020 दिनांकित 30.03.2020 की पालना में इस न्यायालय में दिनांक 03.05.2020 तक लंबित सभी प्रकरणों में नियत तिथि के स्थान पर आगामी तिथि निम्न प्रकार नियत की जाती है :–

वर्तमान नियत तिथि	आगामी नियत तिथि
15.04.2020	22.05.2020
16.04.2020	26.05.2020
17–18.04.2020	27.05.2020
20–28.04.2020	28.05.2020
01.05.2020	29.05.2020
02.05..2020	30.05.2020

इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गयी है कि यदि कोई पक्षकार अपने प्रकरण को आवश्यक प्रकृति का मानकर सुनवाई चाहता है तो वह इस संबंध में कारणों को अंकित करते हुए नवीन प्रार्थना पत्र/आवश्यक प्रकृति के प्रकरण उक्त अवधि में आवश्यक कार्य संपादन हेतु नियुक्त किये गये जिला न्यायाधीश स्तर के पीठासीन अधिकारी महोदय के न्यायालय की ई–मेल आईडी पर इस शर्त के साथ पेश कर सकता है कि न्यायालय का नियमित कार्य सुचारू होने के पश्चात् ई–मेल पर पेश किए गए प्रकरणों/प्रार्थना पत्रों की हार्ड कॉपी पेश कर दी जावेगी।

स्वस्थ रहें और देश की प्रगति में बाधा बन रहे कोरोना वायरस को दूर कर जड से उन्मूलित करने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें।

sd.

विशिष्ठ न्यायाधीश,
अ.जा./अ.जनजाति अत्याचार निवारण
प्रकरण, धौलपुर

प्रतिलिपि :–

1. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, धौलपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि इस सूचना से समस्त अभिभाषकगण को सूचित करावें तथा अभिभाषकगण से भी अनुरोध करेंकि वे अपने पक्षकारान को प्रकरणों की तारीखों की सूचना मोबाईल आदि से दें ताकि वे न्यायालय में आने से बचें और संक्रमण मुक्त व सुरक्षित रहें।
2. आदेश की प्रति सिस्टम असिस्टेंट को प्रेषित कर लेख है कि आम सूचना न्यायालय की बेवसाईट पर अपलोड करें।
3. सूचना की प्रति न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकायी जावे।
4. कार्यालय प्रति।

15/04/2020

विशिष्ठ न्यायाधीश,
अ.जा./अ.जनजाति अत्याचार निवारण
प्रकरण, धौलपुर